79

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1703–एक/16 एवं 1816–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–5–16 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ प्रकरण कमांक 48/बी–121/15–16.

निग0 1703–एक/16

ओमप्रकाश तनय राजाराम कड़ा
निवासी विनोद कुंज तिराहा के पास
टीकमगढ़ म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

1 म0प्र0 राज्य द्वारा तहसीलदार,
टीकमगढ़ म0प्र0
2– महिला मानकुंवर पत्नि परमलाल विश्वकर्मा
निवासी मऊ चुंगी के पास
टीकमगढ़ म0प्र0 ——— अनावेदकगण

निग0 1816–एक/16

श्रीमती मानकुंवर पत्नि श्री परमलाल विश्वकर्मा
निवासी मऊचुंगी नया बस स्टेण्ड के पास
टीकमगढ़ ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ——— अनावेदक

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभि. आवेदक श्री ओमप्रकाश की ओर से ।
श्री एस. के. श्रीवास्तव, अभि0 आवेदिका श्रीमती मानकुंवर की ओर से ।
श्री राजीव गौतम, पैनल अधिवक्ता, अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8 – 9 – 2016 को पारित)

.....

ये दोनों निगरानियां अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 48 / बी–121 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 7–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं । दोनों प्रकरणों के तथ्य एक समान होने, पक्षकार एक होने एवं वाद–बिंदु एक होने से दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

2 / प्रकरण के तथ्य आवेदकगण के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण श्रीमती मानकुंवर एवं ओमप्रकाश को ग्राम अनंतपुरा तहसील व जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नं. 569 / 1 जुज रकबा 0.890 हैक्टर का पट्टा प्राधिकारी अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 52 / अ–19 / 1985–86 में पारित आदेश दिनांक 01–10–86 द्वारा जारी किया गया था । जिस पर से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया जो 2003 तक निरंतर रहा । बाद में रिकार्ड से उनका नाम विलोपित कर दिया गया इस कारण उनके द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नाम दर्ज करने का अनुरोध किया गया । इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया एवं कोई आपत्ति न आने के उपरांत तथा हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत आदेश दिनांक 4–7–14 द्वारा आवेदकों का राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया । उपरोक्त आदेश के उपरांत वर्ष 2015–16 में पटवारी द्वारा आवेदकों का नाम कम्प्यूटर अभिलेख में छोड़ दिए जाने के कारण आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 113 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर आवेदकों का नाम दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर उनके द्वारा आवेदकगण के पक्ष में बताए जा रहे पट्टे को फर्जी बताते हुए तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेते हुए प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रेषित किया । अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–7–14 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि को म0प्र0 शासन के नाम अंकित करने के आदेश दिए हैं । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये हैं कि आवेदकों का प्रश्नाधीन भूमि पर 1983–84 से कब्जा दर्ज होने के आधार पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्र0क0 52/अ–19/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 01–10–86 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा जारी किया गया था । खसरों में आवेदकों को पट्टा दिए जाने संबंधी जिस प्रकरण कमांक 7/अ–19(4)/1985–86 आदेश दिनांक 1–10–1986 का उल्लेख किया गया है वह दिनांक तो सही है किंतु प्रकरण कमांक सही नहीं है । पटवारी ने त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रकरण कमांक 52 के स्थान पर 7 अंकित किया गया है । नामांतरण पंजी कमांक 82 प्रविष्टि दिनांक 11–6–88 के अनुसार खसरा बी–1 वर्ष 1985–86 के आधार पर नामांतरण दर्ज किया गया उसमें भी प्रकरण कमांक 52 के स्थान पर 7 लिखा गया है किंतु प्रविष्टियां अंकित करते समय मूल पट्टे का अवलोकन राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया इसी कारण से मूल पट्टे के प्रकरण कमांक में अंतर आ गया जिसकी त्रुटि के लिए आवेदकों को दंडित करना न्यायोचित नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदकों का प्रश्नाधीन भूमि पर 2–10–1984 के पूर्व से निरंतर बतौर काबिजदार दर्ज होने के आधार पर आवेदकों को म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत भूमिस्वामी अधिकार के रूप में व्यवस्थापन किया गया था । आवेदकगण पट्टे दिए जाने के दिनांक से निरंतर भूमि पर काबिज हैं । वर्ष 2002–03 के बाद आवेदकों का नाम विलोपित कर दिए जाने से आवेदकों द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया गया जिस पर से जांच उपरांत तहसीलदार ने दिनांक 4–7–14 को आदेश पारित किया । तहसीलदार के आदेश का पालन पटवारी द्वारा नहीं किए जाने के कारण आवेदकों ने पुनः तहसीलदार को आवेदन दिया परंतु उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही न करने के कारण आवेदकों ने संहिता की धारा 30 के तहत एस.डी.ओ. के समक्ष आवेदन पेश किया नहीं किया जिस पर से उन्होंने तहसीलदार को प्रकरण अभिमत हेतु भेजा परंतु अभिमत नहीं दिए जाने पर आवेदकों ने दिनांक 16–3–16 को कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया और जब कलेक्टर महोदय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तब आवेदकों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका कमांक 6606/2016 पेश की जिसमें दिनांक 28–4–16 को माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि यदि कोई पुनरीक्षण या अपील लंबित न हो तो आवेदकों का नाम कम्प्यूटर में दर्ज किया जाये । इस आदेश की जानकारी जब अधीनस्थ न्यायालय को हुए

तो उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदकों को नोटिस जारी किया जो आवेदकों को 10–5–16 को प्राप्त हुआ परंतु उसके पूर्व ही अपर कलेक्टर ने दिनांक 7–5–16 को आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सारी कार्यवाही दुर्भावना से ग्रसित होकर तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन से बचने के लिए की गई है जो की गई है जो अपास्त किए जाने योग्य है ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे आदेश का पुनरीक्षण नहीं हो सकता है जिसमें अपील के प्रावधान हों । चूंकि पूर्व तहसीलदार द्वारा कम्प्यूटर में दर्ज करने का आदेश दिया गया था जो अपील योग्य था जिसके विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर ने आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिए बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया है कि चूंकि खसरा प्रविष्टियां आवेदकगण नहीं करते हैं एवं प्रश्नाधीन पट्टे में दो प्रकरण अंकित थे तब दोनों प्रकरणों की जांच होना चाहिए थी । यदि राजस्व अभिलेखों के दायरे में कोई प्रविष्टि नहीं है या प्रविष्टियों में विसंगति है तो इसके आधार पर पट्टे को फर्जी नहीं कहा जा सकता । इस संबंध में उनके द्वारा 1997 आर0एन0 141 का हवाला दियाग या है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि आवेदकों का नाम काबिजदार के रूप में वर्ष 2–10–84 के पूर्व से दर्ज रहा है इस प्रकार लंबे समय तक खसरे की प्रविष्टि स्वत्व की उपधारणा उत्पन्न करती है इस संबंध में 1990 भाग दो एम.पी.वीकली. नोट 8 को उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा वर्ष 1986 में पारित आदेश के 29 वर्ष बाद तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–7–14 को पारित आदेश के 20 माह बाद प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेते हुए आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26, न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) एवं अन्य न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि बंटन/व्यवस्थापन के बाद आवेदकों ने काफी धन एवं श्रम लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है सिंचाई के साधन किये हैं । अतः 24 वर्ष उपरांत व्यवस्थापन रद्द करना न्यायदान नहीं है । यदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई प्रकियात्मक त्रुटि की गई थी तो उक्त त्रुटि के कारण आवेदकों को वंचित करना न्यायोचित नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 2009 आर.एन. 251 इंदारसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 1–10–1986 द्वारा आवेदकों को प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा दिया गया है आवेदकों के अनुसार पट्टे का प्रकरण कमांक 7/अ–19(4)/1985–86 है जबकि खसरों में प्रकरण कमांक 7/अ–19(4)/1985–86 दर्ज है । ऐसी स्थिति में बिना जांच किए एवं आवेदकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना यह निष्कर्ष निकालना कि आवेदकों के नाम की प्रविष्टि फर्जी है न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अपर कलेक्टर की आदेश पत्रिका दिनांक 5–5–16 में रिकार्ड का अवलोकन करना आवश्यक समझते हुए रिकार्ड कीपर को तलब करने एवं उसकी साक्ष्य लिए जाने के आदेश दिए गए हैं और प्रकरण में दिनांक 6–5–16 नियत की गई है । दिनांक 6–5–16 की आदेश पत्रिका में रिकार्ड का अवलोकन करने एवं रिकार्ड कीपर के कथन लिए जाने का उल्लेख है परंतु रिकार्ड कीपर का कोई कथन अपर कलेक्टर के अभिलेख में संलग्न नहीं है, इससे आवेदक के इस तर्क को बल मिलता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही दुर्भावना से ग्रसित होकर तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन से बचने के लिए की गई है जो ।

6/ अभिलेख में संलग्न खसरों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकों का प्रश्नाधीन भूमि पर 2–10–84 के पूर्व से कब्जा निरंतर चला आ रहा है । प्राधिकृत प्राधिकारी के आदेश दिनांक 1–10–1986 के 29 वर्ष से अधिक समय उपरांत तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 4–7–14 के 20 माह उपरांत प्रकरण स्वमेव निगरानी में

लेकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तथा आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उक्त अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकता है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – " भू–राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । " किंतु वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में निर्धारित अवधि के पश्चात प्रकरण स्वमेव पुनरीक्षण में लिया जाना विधि की मंशा के विरूद्ध है । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

7– प्रकरण में विचार योग्य बिंदु यह भी है भूमि का पट्टा प्राप्त होने के बाद आवेदकों ने अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर कृषि योग्य बनाया गया है ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए भूमि को शासकीय घोषित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 251 (इंदर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 50 – भूमि आदिवासी/आवेदकगण को आवंटित की गई – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई हैं । " इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों एवं माननीय

सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों को अनदेखा किया गया है । इस कारण उनका आदेश विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ये दोनों निगरानियां स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–5–16 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकों का नाम तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–7–2014 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर